



JALAUN POLICE

दिनांक- 31.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना से संबन्धित अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र श्यामबाबू यादव निवासी ग्राम जलालपुर थाना चुर्खी जनपद जालौन नाबालिग बालिका को बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर गलत कृत्य कारित किया गया था। जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 02.07.2018 को थाना चुर्खी पर मु०अ०सं० 28/18 (वादसंख्या 52/23) धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम प्रमोद कुमार आदि 05 नफर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 28.04.2023 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 31.01.2026 को मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।